सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

कमांक–एफ.1(1)वित्त/साविलेनि/2007 जयपुर, दिनांक 01.10.2018

परिपत्र

स्टोर्स की प्राप्ति एवं लेखों के संधारण के सम्बन्ध मे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–II के नियम 1 से 15 में समुचित प्रावधान उपलब्ध हैं। जिसके नियम 1 के नोट–1 के अनुसार 'सामान' (स्टोर्स) से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं, सामग्रियों से है जो सरकार के उपयोग के लिए उपाप्त या अन्यथा अर्जित की जाती हैं। यहाँ अन्यथा अर्जन से तात्पर्य कोई वस्तु जो दान/उपहार/भेंट/सीएसआर (corporate social responsibility) इत्यादि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सभी तरह की सामग्री समझा जाना चाहिए तथा उनको भी नियमानुसार स्टोर्स लेखो मे दर्ज किया जाना आवश्यक है।

राज्य सरकार के ध्यान मे लाया गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं में भेंट, उपहार, दान, सीएसआर इत्यादि माध्यमों से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं/सामग्रियों आदि की स्टोर्स अभिलेखों में समुचित रूप से प्रविष्टि कई बार नहीं की जाती है। लेखांकन की दृष्टि से यह उचित प्रक्रिया नहीं है।

अतः सभी संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि दान/उपहार/भेंट/सीएसआर इत्यादि माध्यमों से अर्जित सामग्री की भी स्टोर्स लेखों मे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग–II के प्रावधानों के अनुरूप सम्यक् प्रविष्टि करना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही, उक्तानुसार प्राप्त सामग्री की प्राप्ति रसीद संबंधित को प्रदत्त की जावे।

1/10/18
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (साविलेनि) विभाग

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर । 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर । 12. समस्त कोषाधिकारी।
13. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

मुख्य लेखाधिकारी

GF&AR-13/2018

GFRRules